

परियोजना निदेशक, वाराणसी के पत्र संख्या: 11015/5/पी0डी0 वाराणसी/रा0रा0 56 लेन/2015-16/17878 दिनांक: 16.05.2015 के अनुसार "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013" के नियम 30 (2) एवं (3) के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में दर का निर्धारण।

परिशिष्ट-3

विक्रय विलेख संख्या: 04 के आधार पर दर प्रति हेक्टेयर (5,88,23,529.00) ग्राम-पयागीपुर, परगना-मीरानपुर तहसील-सदर जनपद-सुलतानपुर।

अर्जित क्षेत्रफल	दर प्रति हेक्टेयर	प्रतिकर	परिसम्पत्तियों का विवरण (मूल्यांकन)		भू0 अर्जन अधिनियम-2013 की धारा-30(3) के अनुसार धारा-3ए के प्रकाशन तिथि 23.10.2012 से अभिनिर्णय की तिथि 09.04.2015 कुल 898 दिन का 12% अतिरिक्त प्रतिकर	योग (3+4+5+6)	प्रतिफल 100%	फैक्टर		सम्पूर्ण योग (7+8+9+10)
			बृक्ष	भवन आदि				कालम-3 का नगरीय क्षेत्र में एक गुना	कालम-3 का ग्रामीण क्षेत्र में दो गुना	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
2.5115	5,88,23,529.00	14,77,35,293.00	2,53,566.00	7,87,17,299.00	6,69,31,111.00	29,36,37,269.00	29,36,37,269.00	29,36,37,269.00X1 =29,36,37,269.00	—	88,09,11,807.00
2.5115	5,88,23,529.00	14,77,35,293.00	2,53,566.00	7,87,17,299.00	6,69,31,111.00	29,36,37,269.00	29,36,37,269.00	29,36,37,269.00X1 =29,36,37,269.00	—	88,09,11,807.00
रू0 अट्ठासी करोड, नौ लाख, ग्यारह हजार, आठ सौ सात मात्र										

पूँजीकृत मूल्य:—मालगुजारीX40गुना,

80.11X40=3,204.40 यानि=3,204.00

(रूपया, तीन हजार, दो सौ, चार मात्र)

(रामचन्द्र सरोज)

अपर उप जिलाधिकारी-सदर/सक्षम प्राधिकारी, सुलतानपुर।

